"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 अप्रैल 2010—वैशाख 2, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2010

आदेश

क्रमांक 3800/1062/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अनुशंसा के आधार पर, सारिणी के खण्ड क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवायें उच्च न्यायालय से प्रत्याहरित करते हुए उनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को सारिणी के खण्ड क्रमांक (3) में विनिर्दिष्ट जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में अध्यक्ष के रूप में, उनके द्वारा उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, नियुक्त करने हेतु सौंपती है :—

सरल क्रमांक (1)	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	पद एवं पदस्थापना का स्थान (3)
1.	श्री विजय कुमार एक्का, नवम जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), दुर्ग.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, अम्बिकापुर.
2.	श्री खगेन्द्र सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़.

Raipur, the 20th April 2010

ORDER

No. 3800/1062/XXI-B/C.G./2010.—The State Government, on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh hereby withdraws the services of the members of Higher Judicial Service specified in column No. (2), from High Court and placed their services at the dispoasl of Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department, Government of Chhattisgarh, Raipur for their appointment as President, District Consumer Disputes Redressal Forum as specified in column No. (3), from the date they assume charge in the said places :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Post and Place of Posting (3)
1.	Shri Vijay Kumar Ekka, IX Additional District & Sessions Judge (FTC), Durg.	President District Consumer Disputes Redressal Forum, Ambikapur.
2.	Shri Khagendra Singh, Additional District & Sessions Judge, Jashpur.	President District Consumer Disputes Redressal Forum, Raigarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.